रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2002/ज्येष्ठ 10, 1924

No. 111] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2002/JYAISTHA 10, 1924

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2002

फा. सं. एन.-10/22/2001-पी.पी.सी.— प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 33 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) [हेल्पर, खलासी तथा मोटर क्लीनर पद] भर्ती विनियम 2002 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या और वेतनमान -

पदों की संख्या तथा उनका वेतनमान वह होगा, जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ [2] और [3] में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि -

उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 4 से 11 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निर्रहता:

वह व्यक्ति -

[क] जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या

[ख] जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. <u>प्रारंभिक गठन</u> :-

1. इन पदों पर नियुक्त और नियमित आधार पर इन पदों को धारण करने वाले सभी कर्मचारी और वे सभी कर्मचारी जिन्होंने अपनी सेवाएं निगम में स्थानान्तरित करने का विकल्प दिया है इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से सेवा में सदृश पदों, श्रेणियों और काडरों में नियुक्त माने जाएंगे।
2. उप विनियम [1] में उल्लिखित किसी व्यक्ति की नियमित निरंतर सेवा अवधि को सेवा में प्रोन्नति , पुष्टिकरण और पेंशन के प्रयोजन हेतु संगणित की जाएगी।

6. <u>शिथिल करने की शक्ति -</u>

जहां नियम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, व्यक्तियों या पदों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बाबत इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगा।

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय, निगम द्वारा किस .... आदेश उपांतरित या निरस्त किया जा सकेगा।

7. व्यावृत्ति:-

इन विनियमों में कोई भी बात केन्द्र सरकार द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य संवर्गों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

8. <u>निर्वचन</u>- यदि इन विनियमों के निर्वचन से संबधित कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय निगम, केन्द्र सरकार के परामर्श से करेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7
1. हेल्पर	• 512 [2001] • स्थानांतरण के लिए विकल्प तथा कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	2650- 65-3300 - 70 - 4000 रू0 टिप्पणी:- 25.2.99 को पद धारण करने वाले हेल्परों का और 25.2.99 को पद धारण करने वाले प्रोन्नति प्राप्त, जिन्होंने प्रसार भारती की सेवा के लिए विकल्प मांगे जाते समय उक्त सेवा के लिए विकल्प दिया हो, हैलपरों में 25 प्रतिशत का वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 रूपए होगा।	अचयन पद	18-25 वर्ष [प्रसार भारती कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है] टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । नकि वह अंतिम तारीख जो आसाम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्दाख खंड ,हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले और चम्बा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/ नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	1. आठवीं स्तर उत्तीर्ण इलैक्ट्रोनिक व मैकेनिकल मशीनों का कार्यज्ञान	आयु - नहीं अर्हता - हां

परिवीक्षा अवधि यदि कोइ हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
8	9	10	11
2 वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा - 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	खलासी के काडर से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने काडर में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर ली है।	1. केन्द्र/कार्यालय का प्रधान - अध्यक्ष 2. केन्द्र/ कार्यालय के मामले में सहायक निदेशक/ केन्द्र अभियंता अथवा कार्यक्रम कार्यपालक अथवा सहायक अभियंता- सदस्य 3. समाचार सेवा प्रभाग अथवा विदेश सेवा प्रभाग के मामले में उपनिदेशक - सदस्य 4. केन्द्र अथवा कार्यालय में प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक - सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यकतियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7
2. खलासी	• 71 [2001] • कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	2610- 60- 3150 - 65 - 3540 रु0	लागू नहीं	18-25 वर्ष [प्रसार भारती कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है] टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । नकि वह अंतिम तारीख जो आसाम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्दाख खंड ,हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले और चम्बा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/ नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आठवीं कक्षा पास तथा सुगठित शरीर	लागू नहीं

परिवीक्षा अवधि यदि कोइ हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
8	9	10	11
2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	**पुष्टिकरण के लिए:** [1]. आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यालय/केन्द्र में सहायक केन्द्र इंजीनियर सहायक केन्द्र निदेशक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी-अध्यक्ष [2] उस कार्यालय में सहायक इंजीनियर /कार्यक्रम निष्पादक या समकक्ष स्तर का अधिकारी- सदस्य [3] प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/लेखापाल -सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7
3. मोटर क्लीनर	*1 [2001] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2650-65-3300-70-4000 रूपए	लागू नहीं होता	18-25 [प्रसार भारती कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल किया जा सकता है] टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। नकि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्यख खंड ,हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले और चम्बा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है टिप्पण:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/ नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आठवीं स्तर पास तथा आटोमोबाइल मशीनों का ज्ञान	लागू नहीं होता

परिवीक्षा अवधि यदि कोइ हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
8	9	10	11
2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	पुष्टिकरण के लिए: [1]. आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यालय/केन्द्र में सहायक केन्द्र इंजीनियर/सहायक केन्द्र निदेशक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी-अध्यक्ष [2] उस कार्यालय में सहायक इंजीनियर /कार्यक्रम निष्पादक या समकक्ष स्तर का अधिकारी- सदस्य [3] प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/लेखापाल -सदस्य

के. एस. सर्मा, कार्यकारी सदस्य

[विज्ञापन III/IV/163/2002/असा.]

PRASAR BHARATI

(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2002

F. No. N-10/22/2001-PPC.— In exercise of the powers conferred by section 33 read with sub-section (2) of section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement:** (i) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Helper, Khalasi and Motor Cleaner posts) Recruitment Regulations, 2002.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts and scales of pay:** The number of posts and the scales of pay shall be as specified in columns (2) and (3) of the Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.:** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in the columns 4 to 11 of the said Schedule.

4. **Disqualification:** No person-

   (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule with prior approval of the Central Government.

5. **Initial Constitution:**

(1) All the members appointed against these posts and holding these posts on regular basis and who had opted for transfer of their services to the Corporation, shall be deemed to have been appointed from the date of commencement of these regulations to the corresponding posts, grades and the cadres in the service.

(2) The regular continuous service of a person referred to in sub-regulation (1), shall be counted for the purpose of promotion, confirmation and pension in the service.

6. **Power to relax:** Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations relating to age limit, educational and other qualifications and minimum qualifying service with respect to any class or category of persons or posts :

Provided that the Central Government may, at any time, modify or cancel the order made by the Corporation.

7. **Saving:** Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

8 **Interpretation:** If any question relating to interpretation of these regulations arises, it shall be decided by the Corporation with the approval of the Central Government.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Helper	*512 (2001) * Subject to variation dependant on option for transfer and work load	Rs. 2650-65-3300-70-4000 *Note* · Rs.3050-75-3950-80-4590 is the scale of pay for 25% of posts of Helper to the incumbent existing on 25.2.1999 and the promotees of incumbents existing on 25.2.1999 who had given undertaking to opt for service of Prasar Bharati when such options are asked for.	Non-Selection post	18 to 25 years (Relaxable up to 35 years for Prasar Bharati employees). *Note*. The crucial date for determining the age limits shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh. Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahul and Spiti District and Pangi sub-Divisions of Chamba District of	1 Passed in 8th Standard. 2. Working knowledge of Electrical and Mechanical Machines.	Age: No Qualifications: Yes	Two years	50% by promotion; 50% by direct recruitment	Promotion from the cadre of Khalasis who have three years regular service in the cadre.	1. Head of Station or Office - Chairman 2. Assistant Director or Station Engineer/ or Programme Executive or Assistant Engineer in case of Station or Office - Member 3. Deputy Director in case of News Service Division or External Service Division - Member 4 Administrative Officer or Head Clerk in the Station or Office - Member

				Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep ***Note***: In respect of post of appointment to which is made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall in each case be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.					

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2 Khalasi	*71 (2001) * Subject to variation dependant on work load	Rs 2610-60-3150-65-3540	Not applicable	18 to 25 years (Relaxable up to 35 years for Prasar Bharati employees) *Note* The crucial date for determining the age limits shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur. Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahul and Spiti District and Pangi sub-Divisions of	8th Standard and possessing good physique	Not applicable	Two years	50% by promotion; 50% by direct recruitment	Not applicable	For confirmation: 1 Assistant Station Director or Assistant Station Engineer or an officer of equivalent rank in the offices or stations of Akashvani or Doordarshan - Chairman 2 Assistant Engineer or Programme Executive or an officer of equivalent rank in that office - Member 3. Administrative Officer or Head Clerk or Accountant - Member

				Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep *Note*: In respect of post of appointment to which is made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall in each case be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names						

Name of post	No of posts	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If departmental promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 Motor Cleaner	*1 (2001) * Subject to variation dependant on workload	Rs 2650-65-3300-70-4000	Not applicable	18 to 25 years (relaxable up to 35 years for Prasar Bharati employees) *Note* The crucial date for determining the age limits shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahul and Spiti District and Pangi sub-Divisions of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. *Note* In respect of post	8th Standard pass and must have working knowledge of automobile machines	Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	1. Assistant Station Director or Assistant Station Engineer or an officer of equivalent rank in the offices of Akashvani or Doordarshan - Chairman 2. Assistant Engineer or Programme Executive or an officer of equivalent rank in that office - Member 3. Administrative Officer or Head Clerk or Accountant - Member

				of appointment to which is made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall in each case be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.						

K.S. SARMA, Executive Member

[ADVT. III/IV/163/2002/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2002